आवेदिक सहित अधि. श्री आर.एस.कुशवाह। अनावेदक सहित अधि. श्री बी.आर.चौरसिया। आवेदिका के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में बल न देना चाहा है। अतः उक्त आवेदन पर बल न देने से प्रकरण निरस्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर जिला जज गोहद